

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- i) राज्य/संघ संसिद्ध क्षेत्र उत्तराखण्ड
- ii) जिला मलेख
- iii) वन प्रभाग मलेख वन प्रभाग मलेख
- iv) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 213500
- v) वन की कानूनी स्थिति दिनिल एवं लोथ वन भूमि
- vi) कृषिपाली का घनत्व 4
- vii) प्रजातियों (वैज्ञानिक नाम) और परिधि संलग्न है
- viii) कृषिपाल वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एनओआरओएल - 8 मी० पर परियोजना भी संलग्न किए जाए प्रस्तावित
- ix) अप्रत्यक्ष भूकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। भूकरण की संभावना नहीं
- x) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी लगभग 2.00 कि० मी०
- xi) क्या कार्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का मान है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वर्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) नहीं
- xii) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकरान्त/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। नहीं
- xiii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/सा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ यदि उपलब्ध हो, या नहीं
- xiv) प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। न्यूनतम वन भूमि है
- xv) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही, सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह नहीं

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा- संलग्न है।
- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न है
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न है
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न है
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 3689.30 वर्ग किमी
- i. जिला का वन क्षेत्र। 1309.49 " " "
- ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से 535 मामले 969.9974 हे० वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल - 1944.66 हे० प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित 1342.643 हे० वन भूमि 1342.643 हे०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 1342.643 हे० 20.14-1.5 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति 1342.643 हे०
- (क) वन भूमि पर 729 हे०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। प्रस्ताव स्वीकृति संज्ञा की जावेगी

प्रस्तावना प्रत्याधिकारी,
अरमोड़ा वन प्रभाग, अरमोड़ा
हस्ताक्षर
नाम

दिनांक.....
स्थान.....